

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर जिला जगदलपुर
// आदेश //

क्रमांक / 5692 / मान्यता / वि.अनुमति /

जगदलपुर, दिनांक 2-6-2025

छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, डी0के0एस0 भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक-6 क्रमांक एफ 13-47/20/2010/2/दिनांक 12.04.2010 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम संहिता के अध्याय-3 नियम 32,33 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत नवीनीकरण किये जाने हेतु निम्न दर्शित संस्थाओं को वर्ष 2025-26 से 2026-27 के लिए के लिये अस्थाई मान्यता एवं विभागीय अनुमति निम्नांकित शर्तों के तहत दी जाती है :-

स.क्र.	अशासकीय संस्थाओं का नाम	माध्यम	पाठ्यक्रम	कक्षा का नाम जिसके लिए अस्थाई मान्यता/विभागीय अनुमति दी जा रही है
1	जय क्रिस्टा कान्वेंट स्कूल, पाहुरबेल बकावण्ड	छ.ग.	छ.ग. पाठ्यक्रम	कक्षा नर्सरी से कक्षा 10वीं तक

- बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 (एनेक्सर1) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009(एनेक्सर2) विद्यालय के लिए बन्धनकारी होगा।
- विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा नर्सरी एवं कक्षा 1 ली की दर्ज संख्या के 25 %तक प्रवेश देगा और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
- परिच्छेद 3 में सन्दर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2)के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
- सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता-पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
- विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्मस्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।

Sr. Sufia
MANAGER
Jai Krista Convent High School
Pahurbel, Bastar (C.G.)

Brindha
PRINCIPAL
Jai Krista Convent High School
Pahurbel, Bastar (C.G.)

//02//

6- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-

- 1- प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
- 2- किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
- 3- किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
- 5- कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
- 6- शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
- 7- शिक्षक को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप-नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।
- 8- शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
- 8- विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
- 9- विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार है -
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल.....
कुल निर्माण का क्षेत्रफल.....
खेल के मैदान का क्षेत्रफल.....
अध्यापन कक्षाओं की संख्या.....
प्रधानपाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष.....
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय.....
पेयजल सुविधा.....
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु किचन.....
बाधारहित पहुँच शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकुद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता.....
- 10- विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
- 11- विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवसीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।

Dr. Supa

MANAGER

Jai Krista Convent High School
Pahurbel, Bastar (C.G.)

Bimda

PRINCIPAL

Jai Krista Convent High School
Pahurbel, Bastar (C.G.)

//03//

- 12- विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयवाधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
- 13- विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
- 14- लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए, और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
- 15- विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
- 16- सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी
बस्तर जिला जगदलपुर

पृ.क्रमांक / 5693 / मान्यता / वि.अनुमति /
प्रतिलिपि :-

जगदलपुर, दिनांक 2-6-2023 -

1. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर का सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. संचालक, लोक शिक्षण, छ0ग0 रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी- जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य/प्रधान अध्यापक (अशासकीय/अनुदान) प्राथ0/माध्य0/हाई0/हा0से0 स्कूल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बस्तर जिला जगदलपुर

Sr. Dufu
MANAGER
Jai Krista Convent High School
Pahurbel, Bastar (C.G.)

Brinda
PRINCIPAL
Jai Krista Convent High School
Pahurbel, Bastar (C.G.)